कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना

पत्र सं०–NMSA / को० / 16 / 2015 –.....854 कृ०, पटना, दिनांक 6/12/ ~~नवम्बर~~ 2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय,
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (शष्य) प्रमंडल सभी
जिला कृषि पदाधिकारी (सभी)
सहायक निदेशक (रसायन),
मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, सभी।

विषय :– राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गत प्रयोगशाला में मानव बल की व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में **राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गत प्रयोगशाला में मानव बल की व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश** इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

2.12.16

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NMSA / को० / 16 / 2015 854 कृ०, पटना, दिनांक 6/12/ ~~नवम्बर~~ 2016

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग को विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2.12.16

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

प्रयोगशाला में मानव बल की व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यानवयन हेतु दिनांक 26.03.2015 को राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के कार्यावली सं०–03 (i) में यह निर्णय लिया गया है कि "मृदा विश्लेषण कार्य में सहयोग हेतु मानव बल के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति नमूना 18/– रुपये की राशि कर्णांकित है। उक्त राशि के अधीन व्यय की सीमा तक संबंधित प्रयोगशाला स्थानीय व्यवस्था के तहत् अपने स्तर से कार्य करायेंगे।" तदनुसार कृषि निदेशालय द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश पत्रांक–262 दिनांक 23.04.2015 की कंडिका–15 में निर्देश दिया गया है।

कई जिलों द्वारा इस संबंध में पृच्छा की जा रही है कि प्रयोगशाला में इस प्रावधान की तहत् मानव बल की व्यवस्था किस प्रकार की जाय।

भारत सरकार द्वारा मिट्टी जाँच कार्य से छात्रों को जोड़ने की योजना भी है। जिससे संबंधित दिशा–निर्देश भी प्राप्त है। जिसके आलोक में महाविद्यालय के छात्रों की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से जोड़ने संबंधी दिशा निर्देश कृषि निदेशक के पत्रांक 395 दिनांक 24.05.2016 द्वारा दिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत पुनः कहना है कि :–

प्रयोगशाला में मिट्टी जाँच कार्य में सभी प्रकार के सहयोग के लिए अस्थायी रूप से तथा प्रति नमूना भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अधीन कार्य करने के ईच्छुक व्यक्तियों को मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस योजना से निम्न शर्तो के साथ जोड़ा जाना है :–

(क) इनकी न्यूनतम अहर्त्ता निम्नवत होगी :–

1. न्यूनतम योग्यता इंटर (विज्ञान) उर्त्तीण होगी जिसमे कृषि/विज्ञान (रसायन) में स्नातक, अथवा इन विषयों के स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के नियमित छात्रों को प्राथमिकता दी जायगी।
2. उम्र – न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम – 65 वर्ष
3. इच्छुक कर्मी की संबंधित प्रयोगशाला के क्षेत्राधिकार के जिला का स्थायी निवासी होना चाहिए।
4. प्राथमिकता :–
   - (क) अधिक अभ्यर्थियों के पात्र होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता में प्रथम प्राथमिकता कृषि स्नातक, द्वितीय प्राथमिकता स्नातक विज्ञान (रसायन) की होगी। तदुपरांत स्नातक विज्ञान (रसायन) अंतिम वर्ष में अध्यनरत नियमित छात्रों की प्राथमिकता होगी।
   - (ख) उपरोक्त अहर्त्ता रखने वालो में अनुसूचित जाति/ जनजाति/महिलाओं को प्राथमिकता दी जायगी।
   - (ग) तदुपरांत स्नातक परीक्षा में ज्यादा प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जानी है। अन्य मामलों में भी इंटर (विज्ञान) के प्राप्तांक के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

(ख) यह कार्य प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना प्राप्त होने पर किया जाना है तथा पूर्णतया अस्थाई हैं । इसमें कार्यरत कर्मी का कार्य असंतोषजनक होने पर विना किसी सूचना के हटाया जा सकेगा है। अतः इसके लिए आवेदन प्राप्त करने एवं चयन की कोई प्रक्रिया नही अपनाई जानी है।

(ग) भुगतान की प्रक्रिया :–

एक से ज्यादा शिफ्ट में कार्य करने हेतु कर्मियों को मात्र नमूनों की संख्या के आधार पर देय राशि का ही भुगतान किया जाना है जिसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतिरिक्त शिफ्ट में प्रयोगशाला के कार्य संचालन की जिम्मेदारी संबंधित सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला की होगी।

प्रयोगशाला में कार्य की एवज में किये जाने वाले भुगतान कर्मी के बचत खाता में खाता स्थानान्तरण द्वारा किया जायगा। जिसके लिए संबंधित कर्मी से भुगतान का दावा प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में 15 दिनों में दावा की जाँच करते हुए देय राशि का भुगतान प्राप्ति रसीद पर राशि उनके खाते में स्थानान्तरित कर दी जायगी। इस प्रकार के सभी भुगतान मजदुरी/मानदेय भुगतान को पंजी में वर्षवार/माहवार संधारित किये जायेंगे। भुगतान हेतु दर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अंतर्गत किए गए के प्रावधान के अनुरूप होगा।

इस प्रकार प्रयोगशाला में प्रति नमूना के आधार पर जाँच कार्य कर मानदेय/मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मी का भविष्य में इस कार्य के एवज में किसी भी प्रकार के नियोजन/नियुक्ति संबंधित कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

इन कर्मियों के कार्यो का लेखा–जोखा रखने हेतु प्रयोगशाला में लॉगबुक का भी संधारण किया जा सकता है। जिसकी अद्यतन जाँच करने में जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं सहायक अनुसंधान पदाधिकारी की होगी।

इन कर्मियों से प्रयोगशाला में उपलब्ध नमूनों के अनुसार ही विश्लेषण कार्य कराया जायगा। नमूना जॉच नही किए जाने पर किसी भी प्रकार का भुगतान दावा अनुमान्य नही होगा।

(घ) उपरोक्त श्रेणी के कर्मियों को उनकी कार्य दक्षता के आकलन के आधार पर असंतोषजनक कार्य की स्थिति में उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने से एक स्तर उपर के पदाधिकारी को सूचित कर अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(च) **अन्यान्य :–**

उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त निदेशक (शष्य) प्रमंडल स्तर मामले की समीक्षा कर अंतिम निर्णय लेंगे एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।

****